



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
 कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
 सी.आर. विल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI- 682018

Email: cex15rti-ker@nic.in

Phone: 0484-2390404

फ नं.F No. GEXCOM/RTI/MISC/279/2023-ADT दिनांक/Date: 10.07.2024

व्यापार सूचना/TRADE NOTICE NO: 03/2024

विषय :सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 -केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि कमिश्नरी में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति- संबन्धित।

Sub: Right to Information Act, 2005-Appointment of First Appellate Authority at Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

व्यापार, उद्योग और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, श्री. कोमिसेट्टी मुरलीधर, संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (आरटीआई) के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना / दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए अपील प्राप्त करने के उद्देश्य से, अधिकार क्षेत्र जैसा कि व्यापार सूचना संख्या 02/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 03/2017 के अनुबंध- II में दिखाया गया है, 2017 दोनों दिनांक 21.06.2017, नामित किया गया है। विवरण इस प्रकार है।

Trade, Industry and General Public are hereby informed that, **Shri. Kommisetty Muralidhar, Joint Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate** has been designated as First Appellate Authority (RTI) of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate for the purpose of receiving appeals for disclosure of information/documents under Right to Information Act, 2005 having jurisdiction as shown at Annexure-II of Trade Notice No.02/2017-Central Excise and 03/2017-Central Tax both dated 21.06.2017. The details are as follows.

क्र.सं./ Sl.No	नाम व पदनाम/ Name & Designation	क्षेत्राधिकार/Jurisdiction		प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पता/Address of the First Appellate Authority
		कार्यालय/ Office	क्षेत्र/Area	
1.	श्री. कोमिसेट्टी मुरलीधर, संयुक्त आयुक्त संयुक्त आयुक्त एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी Shri. Kommisetty Muralidhar, Joint Commissioner & First Appellate Authority	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि आयुक्तालय Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	व्यापार सूचना सं. 2/2017, अनुबंध II व 3/2017 -के.उ.शु. दोनों दिनांक 21/06/2017 में सूचित अनुसार As mentioned in Annexure II of Trade Notice Nos.02/2017- Central Excise & 03/2017- Central Tax both dated 21/06/2017	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, केन्द्रीय राजस्व भवन, आई०एस०प्रेस०रोड: कोच्चि-682018 Central Tax & Central Excise, Hqrs Office, Central Revenue Building, I.S.Press Road, Kochi - 682018. ई-मे-/- email: cex15rti-ker@nic.in

2. यह सार्वजनिक सूचना जनता को नियुक्ति की सूचना देने के उद्देश्य से जारी की जाती है।

This Public notice is issued, for the purpose of notifying the appointment to the public.

(टी जी वेंकटेश /T G VENKATESH)
आयुक्त/ Commissioner

प्रति/Copy to:

संबन्धित अधिकारी/The officer concerned

सूचना हेतु प्रति प्रस्तुत है /Copy for information to :

- सदस्य,केन्द्रीयअप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली
The Member, Central Board of Indirect Taxes and Customs, New Delhi.

2. निरीक्षण महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, डी - ब्लॉक, आई पी एस टेट, नई दिल्ली/
The Director General of Performance Management, D-Block, I.P.Estate, New Delhi.
3. सिस्टमस महानिदेशक, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, होटेल सम्राट, नई दिल्ली/ The
Director General of Systems, CBIC, Hotel Samrat, New Delhi.
4. केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली - 110
067/Central Information Commission, CIC Bhawan Baba Gangnath Marg,
Munirka, New Delhi - 110 067
5. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, थिरुवनंथपुरम क्षेत्र The
Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs,
Thiruvananthapuram Zone.
6. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केलिकट एवं त्रिवेन्द्रम-इस अनुरोध के साथ कि वह इस व्यापार
सूचना का व्यापक प्रचार करें और विभिन्न व्यापार संघों और आर.ए.सी. आदि के सदस्यों को
भेजें/ The Commissioner, Central Tax & Central Excise, Calicut & Trivandrum.
7. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचीन./ The Commissioner of
Customs, Customs Preventive Commissionerate, Cochin.
8. आयुक्त (अपील), कोचीन / The Commissioner (Appeals), Cochin.
9. सभी महानिदेशक/मुख्य आयुक्त/निदेशालयों के आयुक्त / All Director General/Chief
Commissioners /Commissioners of Directorates
10. कोच्चि आयुक्तालय में केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों के सभी केन्द्रीय लोक
सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)/ All Central Public Information Officer (CPIO) of
Central Tax & Central Excise offices in Kochi Commissionerate.
11. अधीक्षक (सिस्टम), केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि - विभाग की
वेबसाइट पर इस व्यापार नोटिस को अपलोड करने के लिए।/ The Superintendent
(Systems), Central Tax & Central Excise Hqrs., Kochi – for uploading this trade
notice on the department website.
12. सूचना पट्ट/Notice Board.